

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्र. 15212-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१०.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २०१०-११ के लिए राज्य की संचित निधि में से ३४,७६,४२,६७,१०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कालम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार चार सौ छियत्तर करोड़, बयालीस लाख, सड़सठ हजार, एक सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा - द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	९८,०३,९३,०००	९८,०३,९३,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२,००,५५,०००	३,०१,५०,०००	५,०२,०५,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,३४,३५,१००	०	१,३४,३५,१००
०३.	पुलिस	राजस्व	१,१०,००,०००	०	१,१०,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	६,०१,५०,०००	०	६,०१,५०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५. जेल	राजस्व	४,५०,०००	०
			४,५०,०००
०६. वित्त	राजस्व	२,६२,२५,१००	०
			२,६२,२५,१००
०७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	६,७२,३४,२००	०
			६,७२,३४,२००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,७५,५०,०००	०
			६,७५,५०,०००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२,६१,६३,०००	०
			२,६१,६३,०००
१०. वन	राजस्व	१४,६५,२८,०००	०
			१४,६५,२८,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	५१,२०,७९,०००	०
	पूंजी	५,००,००,००,०००	०
			५,००,००,००,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१,९५,०४,७५,०००	०
			१,९५,०४,७५,०००
१४. पशुपालन	राजस्व	९८,१०,६०,०००	०
			९८,१०,६०,०००
१६. मछली पालन	राजस्व	८,८७,५९,०००	०
			८,८७,५९,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	५९,५४,२२,६००	०
			५९,५४,२२,६००
१८. श्रम	राजस्व	१५,५६,६९,०००	०
			१५,५६,६९,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२७,१४,३२,०००	०
	पूंजी	७,११,००,७००	०
			७,११,००,७००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व पूंजी	१७,७४,००,००० १००	० ०	१७,७४,००,००० १००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व पूंजी	३०० १,४५,३२,०००	० ०	३०० १,४५,३२,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	राजस्व	५,५२,००,०००	०	५,५२,००,०००
२३.	जल संसाधन	राजस्व पूंजी	१,१०० १,६३,००,००,०००	० १,८३,५३,०००	१,१०० १,६४,८३,५३,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल	पूंजी	५४,००,०२,४००	०	५४,००,०२,४००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१,३२,८९,०००	०	१,३२,८९,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व पूंजी	६,१०,००,१०० १०,००,०००	० ०	६,१०,००,१०० १०,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	४२,८३,५०,०००	०	४२,८३,५०,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	४,९४,००,०००	५,२९,०००	४,९९,२९,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२,१०,३०,२७,२००	३,३४,६६,१००	२,१३,६४,९३,३००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व पूंजी	१,०५,५०,००० १७,१६,९०,०००	० ०	१,०५,५०,००० १७,१६,९०,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६९,९७,२५,१००	०	६९,९७,२५,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	४,८५,३९,१००	०	४,८५,३९,१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
३७.	पर्यटन	राजस्व	८,१०,००,०००	०	८,१०,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व	८,०४,७६,५००	०	८,०४,७६,५००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२७,००,०००	०	२७,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१,२५,००,०७,७००	०	१,२५,००,०७,७००
		पूंजी	४६,०८,००,४००	०	४६,०८,००,४००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	३००	०	३००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१,५६,७१,८१,५००	०	१,५६,७१,८१,५००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	१७,६९,८१,०००	०	१७,६९,८१,०००
		पूंजी	१०,००,००,१००	०	१०,००,००,१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	७००	०	७००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१,९३,००,१००	०	१,९३,००,१००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१,०७,०१,६२,६००	०	१,०७,०१,६२,६००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	३२,०९,०३,०००	०	३२,०९,०३,०००
		पूंजी	१,९३,८१,९६,०००	०	१,९३,८१,९६,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	९८,५५,९३,२००	०	९८,५५,९३,२००
		पूंजी	८,९६,००,१००	०	८,९६,००,१००
६५.	विमानन	पूंजी	३६,००,००,०००	०	३६,००,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	३३,४०,६००	०	३३,४०,६००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	१२,६९,५८,०००	०	१२,६९,५८,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व	११,६०,००,०००	०	११,६०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी रोहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,६९,३३,००,०००	०	१,६९,३३,००,०००
		पूंजी	१,०३,४२,००,०००	०	१,०३,४२,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,०५,६६,८०,०००	०	४,०५,६६,८०,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,९३,५५,००,०००	०	१,९३,५५,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	६,२५,००,०००	०	६,२५,००,०००
७९.	अपरम्परागत ऊर्जा	राजस्व	४,१५,००,०००	०	४,१५,००,०००
	योग :	{ राजस्व	२२,२४,०२,५३,२००	१,०४,४५,३८,१००	२३,२८,४७,९१,३००
		{ पूंजी	११,४६,११,२२,८००	१,८३,५३,०००	११,४७,९४,७५,८००
	वृहद योग :		३३,७०,१३,७६,०००	१,०६,२८,९१,१००	३४,७६,४२,६७,१००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २२ जुलाई, २०१०.

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.